(c) Name of persons apear to have acquintane with the circumstances of the case.

The statements of witness recorded u/s 141 Cr. P. C. the material objects and documents collected during the course of investigation have already been filed in Court as and when collected. The remaining statements of witnesses and other material documents and objects are being filed herewith.

(d) whether any offence appears to have been committed and if so, by whom?

A-1 to 4 are native of Bombay and they Conspired among themselves in Bombay to cause the death of Mrs. V Chandralekha IAS in Madras and their criminal conspiracy continued in Madras and in pursuance of their criminal conspiracy and in furtherance of their cardmon intention to cause the death of Mrs. V. Chandralekha, IAS on 19.5.92 at about 10.45 AM when Mrs. Chandralekha IAS was proceeding to her office in Government Ambassador Car bearing Registration No. TMJ 555 by sitting in the left hear rear seat of the said Car towards Gandhi Irwin Road, Kennet Lane in front of Lalitha Pharmacy within the limits of F 2 Rgmore Police Station in a minimum speed due to traffic congstion A-1 came in the opposite direction and poured acid over Mrs. V. Chandralekha, IAS brought by him in a jam bottle through the open side glass of the Car and thereby cause chemical burns (acid burns) on her face, neck, back, left elbow and left thigh knowing fully well that if he by that act cause the death for the injured, he would be guilty of murder and she sustained grievous injury, thus the accused A 1 appear to have committed on offence punishable under Section 120-B, 326 and 307 IPC

The accused A-2 to A-4 appear to have committed an offence punishable under section 120-B, 326, 307 IPC r/w 34 IPC.

More Explosives to Hit Indian Shores

1806. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government attention has been drawn to the news item appeared in the Indian Express of April 24, 1993 with caption more explosives likely to hit Indain shores;

(b) whether the Intelligence Bureau has collected any information on move-ment of exploisves and fire arms across Rajasthan Gujarat borders; and

(c) whether Government propose to take help from Indian Navy to intercept the explosives cargo before it lands on the Indian shores?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) Yes Sir.

(b) Government is aware that the Rajasthan and Gujarat borders are being used for smuggling of firearms, explosives etc.

(c) All the Central and State agencies have been sensitised and the Navy & Coast Guard have intensified their patrolling of the high seas in Gujarat.

दिल्ली में आतंकवाद की घटनायें

1807. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ सीम अफजल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान दिल्ली में आतंकवाद की कितनी घटनायें हुई ; और

(ख) इन घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) 1992 और 1993 (30-4-1993 तक) के दौरान दिल्ली में घटी आतंकवादी घटनाओं की संख्या निम्नप्रकार है।

वर्ष	मामलों की संख्या
1992	15
1993	—

वर्ष 1992 में हुए 15 मामलों में 11 व्यक्ति (7 आतंकवादियो सहित) मारे गए।

दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि उक्त 15 मामलों के अलावा, 1992 और 1993 के दौरान दिल्ली बम विस्फोट के 7 मामले हुए। दिल्ली पुलिस द्वारा अभी तक यह नहीं निर्धारित किया जा सका कि यह गतिविधियां आतंकवादियों द्वारा की गई थी अथवा किसी अन्य द्वारा। इन 7 मामलों मे चार व्यक्ति मारे गए।

राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द फाऊंडेशन द्वारा किये गये कार्य

1808. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द फाऊंडेशन के क्या कार्य है ;

(ख) अयोध्या घटना के बाद इसके द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या फाऊंडेशन ने दंगों के दौरान अनाथ हुए बच्चों की पहचान की है; और

(घ) इस फाऊंडेशन द्वारा बच्चों के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) :

(क) से (घ) राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना फाऊंडेशन (रा.सा.स.फा.) के मुख्य कार्य (i) सांप्रदायिक हिंसा के शिकार हुये व्यक्तियों, विशेष रूप से बच्चों की देखभाल, शिक्षा और प्रशिक्षण के विशेष संदर्भ में, का भौतिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास करना ; (ii) सांप्रदायिक सदभावना तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना ; तथा (iii) विभिन्न धार्मिक समूहो के बीच एकता के सूत्रों को जबूत बनाना है। तथापि, इसको उपलब्ध सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुये, फाऊंडेशन ने अपनी गतिविधियों को सांप्रदायिक हिंसा के प्रभावित हुये बच्चों को सहायता देने तक सीमित रखा है।

2. फाउंडेशन द्वारा सहायता देने के लिये पात्र बच्चों की पहचान, इस प्रयोजन के लिये गठित जिला/राज्य स्तर की निकायों द्वारा की जाती है। अयोध्या की घटना के बाद फैली सांप्रदायिक हिंसा के संदर्भ में, फाउंडेशन राज्य सरकारों के साथ बच्चों की तेजी से पहचान करने के मामले का सक्रिय रूप से अनुसरण नहीं कर रही है। सहायता देने के लिये अब तक 55 बच्चों-16 दिल्ली में, 19 गुजरात के भड़ौच जिले में तथा 20 बच्चों की आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में पहचान की गई है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार, फाउंडेशन द्वारा दिल्ली में प्रति बच्चा प्रतिमास 425/- रुपये की दर तथा भड़ौच और आदिलाबाद में 375/- रू० प्रतिमास प्रति बच्चे की दर से सहायता स्वीकृत की गई है। इन बच्चों को यह सहायता 18 वर्ष की आयु तक उपलब्ध होगी तथा विशेष मामलों में 21 वर्ष की आयु तक उपलब्ध होगी, जिसका उद्देश्य है कि बच्चा कोई कौशल विकसित कर सके और उसके द्वारा अपनी जीविका अर्जित कर सके।